अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर

पत्रांक / दिनांकः

निविदा प्रारूप

1. .....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है) के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता

   .....

   .....

   .....
3. किसको सम्बोधित किया गया .....
4. संदर्भ .....
5. निविदा शुल्क की राशि ..... नकद रसीद संख्या.....
   एवं दिनांक ..... द्वारा/रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ड्राफ्ट संख्या.....
   के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हम ..... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .....
   दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
7. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए दरें निम्न प्रकार होंगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है।

क्र.सं.	**वस्तु का नाम मय विशेष विवरण (इस्पेसिफिकेशन)**	**दर (रुपये)**	**कीमत (उत्पादक शुल्क, काटिज पैकिंग आदि को शामिल करते हुए) केन्द्रीय बिक्री कर, चुँगी कर, यदि कोई हो। इसमें से डिस्काउण्ट छूट (रिबेट) को घटा कर शुद्ध मूल्य**

संलग्न सूची के अनुसार

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से ..... की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। माल की सुपुर्दगी निम्न प्रकार से की जाएगी :
   मात्रा ..... अवधि/दिनांक, यदि कोई हो .....
9. ऊपर उद्धत की गई दरें ..... तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
10. बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक संख्या ..... जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या ...../चालान संख्या .....
    दिनांक ..... रुपये ..... के लिये बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
11. इसके साथ आयकर चुकती प्रमाण–पत्र, बिक्री कर पंजीयन एवं बिक्री कर चुकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं।
12. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा–पत्र भी संलग्न किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

एस. आर. प्रारूप – 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सीलसेलिंग/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं। यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा

निविदादाता के हस्ताक्षर

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर

खुली निविदा हेतु निविदा तथा ठेके की शर्तें

टिप्पणी : निविदादाताओं को चाहिये कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इनका कठोरता से पालन करें।

(1) निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समूचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।

(2) ''वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं'' निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्रारूप एस. आर. – 1 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

(3) **(ए)** फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठेकेदार द्वारा तुरंत क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पूर्ववर्ती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा।

(बी) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध मे फर्म के तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे, जब तक कि वह/वे समस्त निबंधनों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दे। अभिस्वीकृत हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

(4) बिक्री–कर, रजिस्ट्रीकरण और समाशोधन प्रमाण–पत्र कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री–कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, निविदा प्रस्तुत नहीं करेगा। रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित किया जाना चाहिये और संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये और जिसके बिना निविदा अस्वीकृत किए जाने हेतु दायी होगा।

(5) आयकर प्रमाण–पत्र : निविदादाताओं को अपनी निविदा के साथ संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिये और संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिये जिसके बिना निविदा अस्वीकृत किए जाने हेतु दायी होगा।

(6) निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे अथवा टंकित होंगे। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनो और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्परूप हस्ताक्षर करेगा।

(7) दरों को शब्दों और अंकों दोनों ही में लिखा जाएगां गलतियां तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाय। उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाएं, दरों में राजस्थान बिक्री–कर और केन्द्रीय बिक्री–कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिये।

(8) वर्णित की गई समस्त दरें गंतव्य पर रेल पर्यन्त निःशुल्क होनी चाहिये और उसमें चुँगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री–कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिये जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिये। स्थानीय प्रदाय के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिये और महाविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार संदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा। क्रय किया जानेवाला माल कार्यालय उपयोग हेतु होता है अतः चुँगी संदेय नहीं होगी। फलस्वरूप दरों में चुंगी और स्थानीय कर सम्मिलित नहीं होने चाहिए यदि क्रय किया जाने वाला माल पुनः बिक्री हेतु हो या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के लिए प्रस्तुत किया जाए तो दरों में चुंगी और स्थानीय कर सम्मिलित होंगे पूर्ववर्ती मामलों में क्रय आदेश के साथ विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

(9) 1. दरों की तुलनाः राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा जो नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नही है निविदत दरों की तुलना मे राजस्थान बिक्री कर का घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रीय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा ।

2. राजस्थान के भीतर की फर्मो के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा ।

(10) मूल्य अधिमान : मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों का अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी ।

(11) विधिमान्यता : निविदाएं निविदा खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी ।

(12) यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले माल के संबंध में शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक और डाईग आदि का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया हैं । यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग या विनिर्देश डाईग आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी निर्दिष्ट करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेगा ।

(13) ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशित नहीं करेगा या उप पटे पर नही देगा ।

(14) विनिर्देश :

1. प्रदाय की गई समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप में अभिकथित, विनिर्देश ट्रेडमार्क के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई. आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिये।
2. तारांकित क्रमांक ..... की वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामले में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है। प्रदाय सर्वोत्तम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार है, क्रय अधिकारी/क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।
3. वारंटी/गारंटी – निविदादाता इस संबध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से .....दिन/मास की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुएं विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण अथवा अनुमोदन कर लिया हैं, यदि उपर्युक्त.....दिन/मास की कालावधि के दौरान उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं के संबंध में यह पाया जाए कि ये उपर्युक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नहीं है या ऐसी अवधारित की गयी है (और उस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप पाया जाए अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी अस्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने को कहा जाए तो माल आदि को

या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हैं, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का संदाय करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो । इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप से क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी ।

4. मशीनरी तथा उपस्करों के मामलें में भी उपर्युक्त खण्ड (3) में वर्णित गारंटी दी जाएगी और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान उन पुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दूर करेगा यदि उपयुक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि मशीनरी और उपस्कर सक्रिय रहें। निविदादाता मशीनरी को तथा उपस्करों को बदलेगा यदि वे दोषपूर्ण पाए जाएं और उन्हें विनिर्माण दोष आदि के कारण संचलित नही रखा जा सकता । निर्धारित अवधि में प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।

5. क्रय अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपस्कारों के मामले में, निविदादाता उन निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर सहमति हो गयी हो, वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाता मशीनरी और उपस्कारों के विनिर्दिष्ट प्रकार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों के पर्याप्त प्रदाय हेतु भी दायी होगा चाहे वे वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा रूप से। मॉडल में परिवर्तन की दशा में, वह क्रय अधिकारी को पर्याप्त नोटिस देगा जो उत्कृष्ट दशा में मशीनरी तथा उपस्कर के अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।

(15) निरीक्षण :

(क) क्रय अधिकारी या उसका समयक रूप से प्राधिकृत/प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदायक के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात्, जैसा निर्णित किया जाय, माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाना है। उन डीलरों के मामले में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए हैं, उनके बैंकर से परिचय–पत्र आवश्यक होगा।

(16) नमूने :– अनुसूची के भीतर अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदत वस्तुओं के समुचित रूप से पैक किए गए नमूनों के दो सेट होंगे। यदि ऐसे नमूने वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत किए जाए तो उन्हें कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा। नमूना प्राप्त करने वाले अधिकरी द्वारा प्रत्येक नमूने हेतु एक रसीद दीजाएगी। यह यदि नमूने रेल आदि द्वारा भेजे जाएं तो उन्हें संवत, भाड़ा भेजा जाना चाहिये और धारा आर0 या जी0 आर0 अलग लिफाफे में रजिस्ट्री द्वारा भेजी जानी चाहिये। भोजन प्रबंध/खाद्य वस्तुएं निविदादाता के खर्च पर प्लास्टिक बक्स में या पॉलीथन बैग में दी जानी चाहिये।

(17) प्रत्येक नमूनों को उपयुक्त रू॰ से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिख कर या पर्चों पर लिख कर टिकाऊ कागज पर लिख कर नमूने पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा, उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक, जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे।

(18) अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छह मास की कालावधि तक निःशुल्क रखे जाएंगे। महाविद्यालय इन नमूनों के र,खे जाने की कालावधि के दौरान, किसी नुकसान टूट–फूट या जाँच परीक्षण के दौरान किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।

नियत कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापस ले लिए जाएंगे। महाविद्यालय किसी भी प्रकार से नमूनों की वापसी हेतु प्रबंध नहीं करेगी। संविदा की समाप्ति के 9 मास के भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण महाविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(19) अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे महाविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जाँच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट–फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(20) जब प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवश्यक हो या विहिल हो या व्यवहार्य हो तो परीक्षण महाविद्यालय प्रयोगशालाओं में प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे– श्री राम टेस्टिंग हाऊस, नई दिल्ली तथा इसी प्रकार के संस्थानों में करवाए जाएंगे और प्रदाय तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वस्तुएं ऐसे परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।

(21) नमूने लिए जाना :– परीक्षण के मामले में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उनकी उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला को तथा अथवा परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।

(22) परीक्षण व्यय :– परीक्षण व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा सदेय होगा।

(23) अस्वीकृत किया जाना :

(अ) निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।

(ब) तथापि, यदि महाविद्यालय कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

(24) अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएंगी, उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखित पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।

(25) निविदादाता इस बात हेतु दायी होगा कि वह समुचित पैकिंग करे जिससे कि समुद्र, रेल या सड़क या वायु द्वारा परिवहन की सामान्य स्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गंतव्य पर प्रेषिति को अच्छी दशा में सामग्री का परिदान हो सके। किसी हानि, नुकसान, टूट–फूट या लीकेज या किसी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषिति द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण/ निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण से कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(26) प्रदाय के ठेके का क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा यदि प्रदाय उसके समाधानप्रद रूप में न किए गए हों।

(27) निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष पचार निरर्हता होगा।

(28) 1. परिदान कालावधि : जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह ..... द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से ..... की कालावधि के भीतर निम्नानुसार प्रदाय हेतु व्यवसर करेगा।

क्रमांक	माप	मात्रा	परिदान कालावधि

अ. मात्रा की सीमा – पुनरादेश, यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए जाते हैं तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है और कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसा करने में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यू छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा से या अन्यथा रूप से करें और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।

ब. यदि क्र अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।

(29) अग्रम राशि :

1. निविदा के साथ रुपये ..... की अग्रिम राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। रकम ..... के पक्ष में ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी चाहिये।

   (क) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ अन्य यप से स्वीकाग्र नहीं होगा।

2. अग्रिम राशि की वापसी : विफल निविदादाता की अग्रिम राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति के तुरंत पश्चात् वापस कर दी जाएगी।

3. बयाना राशि से छूट : उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकर फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदार्य आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।
4. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को अग्रिम राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
5. किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग/कार्यालय में पड़ी हुई अग्रिम राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले संविदाओं के संबंध में पड़ी हुई है। नवीन निविदाओं हेतु अग्रिम राशि प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं की जाएगी। तथापि निविदाओं के पुनः आमंत्रण की दशा में अग्रिम राशि पर विचार किया जा सकेगा।

(30) अग्रिम राशि का समपहरण : अग्रिम राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगाः

1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता हो।
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता।
3. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
4. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

(31) 1. करार तथा प्रतिभूति निक्षेप :

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।
2. निविदा के समय जमा कराई गयी अग्रिम राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में अग्रिम राशि से कम नहीं होगी।
3. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जाएगा।
4. प्रतिभूति राशि के निम्नलिखित रूप होंगे :–

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक/रसीदी चालान कीप्रति

(ख) सम्यक रूप से गिरवी रखी गयी डाकघर बचत बैंक पास बुक

(ग) राष्ट्रीय बचत–पत्र, प्रतिरक्षा बचत–पत्र, किसान विकास–पत्र या लघु बचतों के अभिवर्धन हेतु राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन लेख/लिखित, यदि उसे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण–पत्रों को अभ्यर्पण मूल्य पर स्वीकृत किया जाएगा।

5. एक समय क्रय के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अंतिम प्रदाय से एक मास की भीतर तथा समान्तर परिदान के मामले में संविदा की संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात् या गारंटी कालावधि यदि कोई हो की समाप्ति के पश्चात् इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तथा इस समाधान के कि निविदादाता के विरुद्ध कोई भी राशि बकाया नहीं है के दो मास पश्चात् प्रतिभूति की रकम लौटा दी जाएगी।

2.

1. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

2. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।

3. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण : प्रतिभूति की रकम का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जाएगा :

(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों का भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इससंबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

4. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किए जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

(32)

1. समस्त माल रेल या परिवहन के माध्यम से भाड़ा संदत करके भेजा जाना चाहिए। यदि माल को भाड़ा दिए जाने की शर्त के अधीन भेजा जाता है तो प्रदायक के बिल से भाड़ा तथा भाड़े का 5 प्रतिशत विभागीय प्रभार वसूल कर लिया जाएगा।
2. आर. आर. को केवल चैक के माध्यम से रजिस्ट्री लिफाफे में भेजा जाएगा।
3. यदि क्रय अधिकारी के द्वारा बैंक के द्वारा ऐसा चाहा जाए कि प्रदाय को यात्री रेल से भेजा जाए तो सम्पूर्ण रेल भाड़े का वहन विभाग द्वारा किया जाएगा।
4. संदाय पर प्रेषण व्यय निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(33) बीमा :

1. माल गंतव्य गोदान पर पूर्णतः अच्छी स्थिति में परिदत किया जाएगा। प्रदायक यदि वह ऐसा चाहे मूल्यवान माल का चोरी, विनाश या आग बाढ़ द्वारा इस स्पष्टीकरण के साथ अर्थात (युद्ध विद्रोह बलवा आदि) से या अन्यथा नुकसान के विरुद्ध बीमा करवा सकेगा। बीमा प्रभार का वहन प्रदायक द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रभारी यदि उपगत किए गए हो का संदाय राज्य द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
2. यदि क्रेता चाहे तो क्रेता के व्यय पर भी वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा ऐसे प्रकरणों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम से या उसके अमनुबंधी संस्थानों से कराया जाना चाहिये।

(34) संदाय :

1. विरल तथा विशिष्ट प्रकरणों के सिवाय अग्रिम संदाय नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम संदाय कर दिया जाता है तो वह वित्तीय शक्तियों की विहित सीमा तक पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो, तथा रेल/प्रतिष्ठित माल परिवहन कम्पनियों आदि द्वारा प्रेषण के प्रमाण–पत्र के अध्यधीन होगा। अतिशेष,, यदि कोई हो का संदाय परेषण की अच्छी स्थिति में इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ जो टिप्पण निविदादाता को दिए गए निरीक्षण टिप्पण पर पृष्ठांकित किया है, प्राप्त होने पर संदत किया जाएगा।
2. जब तक पक्षकारों के बीच अत्यथा सहमति न हो, भण्डारों के परिदान हेतु संदाय निविदादाता द्वारा क्रय अधिकारी को सा. वि. एवं ले. नियम के अनुसारण में समुचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा। समस्त प्रेषण व्ययों का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा।

3. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी, और विवदा के निपट जाने पर संदत कर दी जाएगी।

4. उस माल के प्रकरण में संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएंगे जब परीक्षण कर लिए जाए, प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देश के अनुरूप पाए जाएं।

(35) 1. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल निविदादाता क्रय अधिकारी से फर्म आदेश की प्राप्ति कर पर कालावधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।

3. **निर्धारित नुकसान :–** निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में उस भण्डार जिसका प्रदाय करने में निविदादाता विफल रहा है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।

1. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलंब 2.5 प्रतिशत

   (ख) विहिप कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलंब 5 प्रतिशत

   (ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि का विलंब 7.5 प्रतिशत

   (घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलंब 10 प्रतिशत

2. प्रदाय में विलंब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो।

3. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की अधिकतम रकम 10 प्रतिशत होगी।

4. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदाय की पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उस प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरंत आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं।

5. यदि माल के प्रदाय में विलंब की निविदादाता के नियंत्रण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा।

(36) वसूलियां : निर्धारित नुकसान, न्यून प्रदाय, टूट–फूट, अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां सामान्यतः बिलों से की जाएगी। न्यून प्रदाय टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं की सीमा तक रकम भी रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है तो निर्धारित नुकसान सहित वसूलियों विभाग में उपलब्ध उसकी बकाया से तथा प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक मांग वसूली के या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(37) निविदादाता को, यदि आवश्यक हो आयात अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं करनी चाहिये।

(38) यदि निविदादाता कोई ऐसी शर्तअधिरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके प्रतिकूल है तो उसकी निविदा संक्षिप्त विचारण पर अस्वीकृति हेतु दायी होगी। जब तक कि क्रय अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृत के पत्र में विशेष रूप से वर्णित न हो ऐसी कोई भी शर्त स्वीकृत की हुई नहीं समझी जाएगी।

(39) क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने का किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(40) निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

1. भागीदारी फर्मों के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
2. यदि फर्म/फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष।
3. एक मात्र स्वत्वाधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक।
4. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

(41) यदि संविदा के निर्वचन अर्थ तथा भंग संबंध में संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रकरण को पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठतम अधीनस्थ को विवाद

के एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(42) समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (महाविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में ही स्थित न्यायालयों में संस्थित की जाएंगी, अन्यत्र नहीं।

(43) आई0 एस0 ओ0 प्रमाण–पत्र धारी निर्माताओं की सामग्री को प्राथमिकता दी जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर

करार

1. आज दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुमोदित प्रदायक कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ से ऐसा ग्राह्य, उसके उत्तराधिकारी वारिस निष्पादक और प्रशासक सम्मिलित है।)
2. अतः अनुमोदित प्रदायक के महाविद्यालय के साथ राजस्थान राज्य के ..... को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान के भीतर उसके शाखा कार्यालयों को इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित वस्तुएं इसके साथ संलग्न निविदा तथा संविदा में वर्णित शर्तों पर और उक्त अनुसूची के स्तम्भ ..... में वर्णित दरों पर प्रदाय करने हेतु करार किया है।
3. और अतः अनुमोदित प्रदायक ने ..... में रुपये ..... की रकम निम्नानुसार जमा करा दी है।

   (1) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान सं./बैंक चैक सं. ..... दिनांक .....

   (2) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विभागीय प्राधिकारी के पक्ष में सम्यक रूप से गिरवी रख दिया गया है।

   (3) राष्ट्रीय बचत–पत्र/प्रतिरक्षा बचत–पत्र, किसान विकास पत्र या लघु बचतों के अभिवर्धन हेतु राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन कोई अन्य लिखित/दस्तावेज, यदि उसे सुसंगत नियमों के अधीन गिरवी रखा जा सकता हो (प्रमाण–पत्र अभ्यर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उपयुक्त करार के सम्यक पालन हेतु जिन्हें औपचारिक रूप संविभागीय प्राधिकारी को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

   (4) अब यह दस्तावेज निम्नलिखित का साक्ष्य है :

1. इसमें संलग्न अनुसूची में वर्णित दरों पर ..... की मार्फत महाविद्यालय द्वारा किए जाने वाले संदाय के प्रतिफलस्वरूप अनुमोदित प्रदायक निविदा तथा संविदा की शर्तों में वर्णित रीति में .....में तथा उसके ..... में वर्णित उक्त वस्तुओं का सम्यक रू‍प से प्रदाय करेगा।

2. निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... से संलग्न खुली निविदा हेतु तथा संविदा की शर्तें इस करार से संलग्न शर्तें भी इस करार के भाग रू॰ में मानी जाएंगी और इस करार का निष्पादन करने वाले पक्षकारों पर आबद्ध कर होगी।

3. निविदादाता से प्राप्त पत्र सं. ..... तथा महाविद्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र संख्याक और इस करार से संलग्न दस्तावेज भी इस करार का भाग रूप होंगे।

4. (क) महाविद्यालय इसके द्वारा करार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायक उपयुक्त रीति में उक्त वस्तुओं का सम्यक रूप से प्रदाय करेगा और उक्त निबंधनों और शर्तों का पालन तथा नियमित पूर्ति करेगा तो महाविद्यालय ..... के माध्यम से अनुमोदित प्रदायक को, प्रत्येक परेषेण हेतु संदेय रकम का उक्त शर्तों में वर्णित समय पर तथा रीति में संदाय करेगी या करवाएगी।

   (ख) संदाय की रीति निम्न विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी :

   1- .....

   2- .....

   3- .....

5. परिदान, प्रदाय आदेश की तारीख से निम्नलिखित कालावधि के भीतर प्रारम्भ और पूर्ण किया जाएगा :

क्र.सं.	वस्तुओं की मात्रा	परिदान कालावधि

6. 1. निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि को बढ़ाए जाने की दशा में उस भण्डार के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर वसूली की जाएगी जिनका पदाय करने में निविदादाता विफल रहा है :

   (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलंब 2.5 प्रतिशत

   (ख) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अधिक कालावधि का विलंब 5 प्रतिशत

   (ग) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अ धिक कालावधि का विलंब 7.5 प्रतिशत

   (घ) परिदान कालावधि की तीन चौथाई कालावधि से अधिक का विलंब 10 प्रतिशत

टिप्पण : 1. (क) प्रदाय में विलंब की कालावधि की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम है।

(ख) यदि किसी बाधा के घटित होने के कारण संविदात्मक प्रदाय की समय पर पूर्णता के काल में प्रदायक को वृद्धि की आवश्यकता है तो वह उस प्राधिकारी को लिखित में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा जिस प्राधिकारी ने प्रदाय आदेश दिया था। ऐसा आवेदन–पत्र बाधा घटित होते ही तुरंत दिया जाएगा किन्तु वह प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात् नहीं होगा।

2. परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा। यदि माल के परिदान में विलंब निविदादाता के नियंत्रण से परे बाधाओं के कारण हुआ है।

7. इस करार से उत्पन्न समस्त विवाद तथा इस करार के निर्वचन से संबंधित समस्त प्रश्न महाविद्यालय द्वारा निवर्णित किए जाएंगे और महाविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

इसके साक्ष्य में पक्षकारों ने अपने हस्ताक्षर आज दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... को कर दिए हैं।

अनुमोदित प्रदायक के हस्ताक्षर

प्राचार्य के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक :

साक्षी सं. :

साक्षी सं. :

दिनांक :

साक्षी सं. :

साक्षी सं. :